बिजली कंपनियों में 26वें स्थान पर बिहार

संवाददाता ■ पटना

देश भर की 39 बिजली कंपनियों में बिहार की बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी को 26वां स्थान

ऊर्जा मंत्रालय ने स्वतंत्र एजेंसी आइसीआरए व केयर से पहली बार कराया मूल्यांकन

मिला है. मध्यप्रदेश, त्रिपुरा, उत्तराखंड, राजस्थान, मेघालय, झारखंड व उत्तरप्रदेश सहित 13 राज्यों से बिहार का स्थान ऊपर है. एक से चार स्थान पर गुजरात से संबंधित बिजली कंपनियां है, जिसे ए प्लस में रखा गया है. पहली बार ऊर्जा मंत्रालय ने राज्य की विद्युत वितरण कंपनियों का समेकित वार्षिक मूल्यांकन कराया है. इसका उद्देश्य वितरण कंपनियों के योग्यता क्रम का निर्धारण करने के साथ ही देश भर की बिजली कंपनियों में एकरूपता लाने की कोशिश है. बिजली कंपनियों की योग्यता क्रम निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसी 'आइसीआरए' व 'केयर' ने संयुक्त रूप से यह मूल्यांकन किया है. मूल्यांकन में बिहार को 26वां स्थान पर रखते हुए बी ग्रेड दिया गया है. मूल्यांकन के बाद बिजली कंपनी के अधिकारियों ने कहा है कि उनकी कोशिश होगी कि अगले वर्ष जब बिजली कंपनियों का मूल्यांकन हो, तो बिहार का स्थान और ऊपर पायदान पर आये.

बिहार को सलाह

- कमजोर वित्तीय स्थिति में सुधार
- संचरण-वितरण नुकसान (लगभग 60 प्रतिश) को कम करना
- भारी संख्या में बिना मीटर के उपभोक्ता
- राजस्व वसूली में बिजली बिल में वृद्धि

मूल्यांकन का मापदंड

वित्तीय निष्पादन पर 63, परीक्षित लेखा के लिए पांच, क्रॉस सब्सिडी के लिए शून्य-दो, सुधार के कदम-पुनर्गठन एवं निगम बनाने के लिए शून्य-पांच, नियामक तंत्र वातावरण के लिए 15-15, दूरदृष्टि के मापदंड में पांच-एक व प्रोत्साहन/बोनस के अंक के रूप में 12 अंक.

श्रेणी	अंक	प्रदर्शन	कंपनी
ए प्लस	80-100	उत्कृष्ट	चार
ए	65-80	उच्च	दो
बी प्लस	50-65	सामान्य	11
बी	35-50	औसत से नीचे	10
सी प्लस	20-35	निम्न स्तरीय	आठ
सी	0-20	घाटिया	चार

बिहार की बिजली कंपनी का मजबूत पक्ष

- विद्युत क्षेत्र में सुधार व पुनर्गठन. विशेष तौर पर कार्यशैली व निगमीकरण के मामलों में संतोषजनक प्रगति
- राज्य सरकार की ओर से समय अनुदान की प्राप्ति
- विनियामक आयोग की प्रभावी कार्यकुशलता व नवंबर 2012 में वित्तीय वर्ष 2014 से 2016 तक के लिए बहुवर्षीय टैरिफ ऑर्डर व समय पर टैरिफ याचिका दाखिल करने का काम.
- वित्तीय वर्ष 2012 के लिए अंकेक्षित वित्तीय लेखा की समय उपलब्धता
- बिजली चोरी रोकने के लिए विशेष न्यायालय का गठन, विद्युत क्षेत्र का पुनर्गठन, उपभोक्ता शिकायत मंचों आदि का कार्यान्वयन व इसमें लगातार सुधार
- ईंधन व बिजली खरीद लागत समायोजन का प्रभावी रूप से सही तरीके से संचालन.